





25.1.2021 यह दावा वादी रजिस्टर नंबर 1000/2021 पुत्र नृत्यरत्न
 देव जाति बैरवा निवासी महस्या तहसील टोडानी जिला करौली
 राज अस्थापक शहरी ओमप्रकाश राजकीय उ0मा0वि0 कैमरी तह0
 नंदी जिला करौली की ओर से श्री हर्षवर्धन शर्मा एडवोकेट ने
 हुन्दरे सनक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत
 दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया
 जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली
 दिनांक 25.1.2021 को पेश हो।




 उप-जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी (स0मा0)

25.1.21 पत्रा-वेरा हुई। वकील वादी उप-द्वी प्रतिवादीगण
 से शोर्ट ले श्री सीताराम गुप्ता स्व. ने कालतमाग शेष
 किया। जो शामिल फा: सिमा गया। वादते अबावडात
 पत्रा-दि० १-2-21 को पेश हो। 

१/२/२१ वकील उमथपथा उप-द्वी वादते अबावडात
 पत्रा-दि. १/१/२१ को पेश हो। 

१-३-२०२१ पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सँ
 1 व 3 मय वकील उपस्थित हैं। पक्षकारान ने
 राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर
 पत्रावली में शामिल किया गया। वादग्रस्त मामे
 पर वादी ने प्रतिवादीगण का कब्जा स्वीकार
 किया है। फलस्वरूप वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का
 दावा चलने योग्य नहीं है। अतः बरकर राजीनामा
 वादी का बाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली केसक
 शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील
 दाखिल दफतर हो।


 उप-जिला कलेक्टर
 गंगापूर सिटी (स0मा0)


 रामेश प्रसाद (वकील)

 योगेश मेहन